

पत्रांक:सीसीएल/एन.ई.ई./कनिया अनुवादक(राजभाषा) लिपिकीय वर्ग-II/2024/ 10110-10119 दिनांक: 24/12/24

कार्यालय आदेश

(14)

कनीय अनुवादक (राजभाषा) लिपिकीय वर्ग-II के पद पर एन.सी.डब्ल्यू.ए.-XI के वेतनमान (जैसा लागू हो) पर निम्नलिखित कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाता है-

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम/ पदनाम/ पी. आइ. एस. संख्या	विभाग	पदोन्नति पद
1.	श्रीमती रोमा कुमारी, अनुवादक(राजभाषा) (प्रशिक्षु) लिपिकीय वर्ग-III, 14507487	राजभाषा	कनीय अनुवादक(राजभाषा) लिपिकीय वर्ग -II
2.	श्री पंकज प्रसाद, अनुवादक(राजभाषा) (प्रशिक्षु) लिपिकीय वर्ग-III, 14556310	अधिकारी स्थापना	कनीय अनुवादक(राजभाषा) लिपिकीय वर्ग-II

इनकी पदोन्नति उक्त पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। अगला आदेश जारी होने तक वे उनके वर्तमान विभाग में ही पदस्थापित रहेंगे।


उपर्युक्त वर्णित कर्मों सी°सी°एल° के प्रमाणित स्थायी आदेश के खण्ड 3.6 के अनुसार उक्त पद पर छः महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

इनकी इंटर-सी-सीनियारिटी अनुमोदित पैनल में इनकी वरीयता क्रम में रहेगी जो उनके पदोन्नत पद पर वास्तविक पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित नहीं होगी।

सी°सी°एल° एंव उसकी सहायक कम्पनियों के गैर-अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सुनिश्चित करने हेतु पत्रांक:- सी.आई.एल° एल°/सी-5/जे°बी°सी°सी° आई/एस°सी/डिटरमिनेशन ऑफ सीनियरिटी/33 दिनांक: 11.02.2021 द्वारा जारी किये निर्देशों के तहत उपरोक्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद पर यथाशीघ्र अपना योगदान दें। यदि संबंधित कर्मचारी इस कार्यालय आदेश के जारी होने के 30 दिनों के अंदर पदोन्नत पद पर अपना योगदान नहीं देते हैं तो यह कार्यालय आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।

सम्बंधित महाप्रबंधक / विभागाध्यक्ष (प्रमाणित स्थायी आदेश के अनुसार अनुशासनात्मक अधिकारी) सुनिश्चित करें कि उपरोक्त कर्मचारी का पदोन्नत पद पर योगदान तभी स्वीकार किया जाए जब उनके विरुद्ध कोई भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाई लंबित नहीं हो, जिसके उपरांत ही उनका पदोन्नत पद पर योगदान प्रभावी होगा। पदोन्नत पद पर उनकी जोइनिंग रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की जाय।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाता है।


(सोम्या सिंह)
उप प्रबंधक (का-कर्म.स्था)
सीसीएल:रांची

वितरण:-

1. महाप्रबंधक (राजभाषा)/अधिकारी स्थापना/वित्त/ कर्मचारी स्थापना/आई. ई. डी. ,सीसीएल,रांची।
2. निदेशक(कार्मिक) के तकनीकी सचिव , सीसीएल,रांची।
3. महाप्रबंधक (प्रणाली), सीसीएल,रांची - सीसीएल वेबसाइट पर अपलोड हेतु
4. श्री अश्विनी चौधरी, वरीय डी.ई.ओ, कर्मचारी स्थापना विभाग, सीसीएल,रांची।
5. संबंधित कर्मचारी एवं संचिका